श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 07.01.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:15 बजे बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति–

1. श्री रजनीकांत, कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर।
2. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
3. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
5. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
6. श्रीमती नुपूर झा, उप निदेशक, खेल विभाग।
7. श्री संजीव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव महोदय द्वारा कुलसचिव से बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तदोपरान्त निम्नलिखित कार्रवाई अभिलिखित की गई।

1. पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य व्यय

कुलसचिव द्वारा बताया गया कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के शैक्षणिक सत्र 2025–26 से खेल प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकित होने वाले छात्रों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य व्यय को प्रायोजित करने पर विभागीय सहमति का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव द्वारा खिलाड़ी कल्याण कोष योजनान्तर्गत राशि देने हेतु मार्गदर्शिका में इसे समाहित करते हुए संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

2. <u>संविधि के संबंध में</u>

कुलसचिव द्वारा बताया गया कि संविधि का प्रारूप पर विभाग स्तर पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने के संबंध में।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव द्वारा विधि विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।

3. **कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय** द्वारा बिजली उपकरण इत्यादि के रख–रखाव हेतु एजेंसी रखने का अनुरोध किया गया।

सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त से संबंधित निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है। सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को विभाग के स्तर से निदेशित किया जाय कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के कार्यों यथा– जैनरेटर, डीजल, बिजली उपकरण, मानव बल इत्यादि को भी समाहित कर चयनित एजेंसियों के द्वारा हीं अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

4. <u>विश्वविद्यालय के भवन एवं छात्रावास के निर्माण के संबंध में।</u>

कुलसचिव द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के लिए भवन निर्माण, बालक/बालिकाओं का हॉस्टल निर्माण, एकेडमी भवन, स्टाफ क्वार्टर निर्माण एवं अन्य निर्माण हेतु 10 एकड भूमि के अधिग्रहण/उपलब्धता के संबंध में भवदीय को अवगत कराया गया।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव द्वारा कुलसचिव को स्पष्ट प्रस्ताव आवश्यकतानुसार तैयार करने तथा चिन्हित जमीन बियाडा का लैंड बैंक अथवा बाहरी भूमि है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, नालंदा से पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भवन निर्माण निगम लि0, पटना को पत्र भेजने एवं राशि की उपलब्धता अगले वित्तीय वर्ष से कराये जाने का निदेश दिया गया।

5. एकेडमी हॉल के उपयोग हेतु अनुमति के संबंध में

कुलसचिव द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम के अंतर्गत एकेडमी के हॉल नं०–4 वेट–ट्रेनिंग हॉल में जाने एवं उपस्करों के उपयोग की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण होने में विलंब है, पूर्ण होते हीं हॉल नं०–4 वेट–ट्रेनिंग हॉल में जाने एवं उपस्करों के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

6. अगले सत्र हेतु छात्र/छात्राओं के लिए अतिरिक्त कमरा आवंटित करने के संबंध में।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा बताया गया कि पूर्व से 20 कमरा विश्वविद्यालय को आवंटित किया गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतियोगिता होने के दौरान कमरे के कमी का उल्लेख किया गया।

सचिव द्वारा 20 कमरा अतिरिक्त आवंटित करने साथ हीं कुलसचिव को विश्वविद्यालय के प्रांगण के अतिरिक्त व्यवस्था रखने का निदेश दिया गया।

अगली बैठक दिनांक–28.01.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 10.15 बजे निर्धारित की जाती है।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

9/1/2026

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक–...147....   पटना, दिनांक–12...1../2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना/ कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/सहायक निदेशक (युवा)/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

9/1/2026
सचिव।